दिनांक 18.05.2017 को अपराह्न 4:00 बजे अपर सचिव–सह–अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति

1. श्री संजय कुमार सिंह	– अपर सचिव	– अध्यक्ष
2. श्रीमति सुधा रानी	– विशेष कार्य पदा0,	– सदस्य
3. श्री सुजीत कुमार राय	– संयुक्त श्रमायुक्त	– सदस्य
4. श्रीमति अरुणा सिन्हा	– उप निदेशक, नियोजन	– सदस्य
5. डॉ0 (श्रीमति) तृप्ति चौधरी	– उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें	
6. श्री सतीश कुमार शाही	– अवर सचिव, प्रशिक्षण पक्ष	
7. श्री अरूण कुमार–1	– अवर सचिव, श्रम पक्ष	
8. श्री अजीत कुमार सिन्हा	– सहायक निदेशक, नियोजन–सह–विधि प्रभारी	
9. श्री मुस्तफा मंसूरी	– प्रशाखा पदाधिकारी– 03 (सरकार पक्ष)	
10. डॉ0 विनायक पद्माकर	– प्रशाखा पदाधिकारी– 01 (सरकार पक्ष)	
11. श्री शशि भूषण तिवारी	– प्रशाखा पदाधिकारी– श्रम पक्ष	
12. श्री देवेश कुमार	– श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी	

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :–

सरकार पक्ष (प्रशाखा–1)

सरकार पक्ष में लंबित मामलों के अनुपालन की स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. डा0 सी0 के0 पी0 सिंह, संयुक्त सचिव, बीमा चिकित्सा पदा0, सेवा संघ	**डायनेमिक ए0 सी0 पी0 संबंधित नई सेवा नियमावली एवं संवर्गीय आवश्यकता आधारित रिक्त पदों पर नियमित प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में–** प्रशाखा –1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में सम्प्रति उपलब्ध पदो के अनुरूप प्रोन्नति देते हुए इसकी प्रति विगत बैठक में समिति को उपलब्ध करा दी गयी है। उक्त अभ्यावेदन के आलोक में प्रशाखा–1 के स्तर से की जाने वाली सभी कार्रवाई की जा चुकी है। शेष कार्रवाई चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय से की जानी है। इस कारण इसे प्रशाखा–01 की लंबित सूची से विलोपित करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय से अद्यतन स्थिति की सूचना की मॉग की जा सकती है। समिति द्वारा समीक्षा के कम में पाया गया कि बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) संवर्ग नियमावली –2017 को तैयार करने की कार्रवाई कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय से की जा रही है। आवेदक ने अपने अभ्यावेदन में नयी सेवा नियमावली लागू करने सहित बीमा चिकित्सा पदाधिकारी सेवा संवर्ग के लिये डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने तथा बीमा चिकित्सा सेवा संवर्ग के आवश्यकता आधारित रिक्त पदों पर नियमित प्रोन्नति देते हुए भरे जाने

	का भी उल्लेख किया है। उक्त आलोक में समिति द्वारा प्रशाखा–01 के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। प्रशाखा–01 के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया जा रहा है कि प्रशाखा–01 के स्तर से की जाने वाली सभी कार्रवाई की जा चुकी है। परन्तु आवेदक के अभ्यावेदन के आलोक में कृत कार्रवाई से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। प्रशाखा पदाधिकारी –1 को पुनः निदेश दिया गया कि आवेदक के अभ्यावेदन के आलोक में प्रशाखा–01 से की गयी कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाय
2. श्रीमती प्रीतालाल पति–स्व0 डा0 ईश्वर लाल भूतपूर्व बीमा चिकित्सा पदा0 क0 रा0 बीमा योजना	**<u>मृत्युपरान्त मिलने वाली पावनाओं के संबंध मे–</u>** प्रशाखा पदा0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदन पर कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लंबित है। स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में लिखा गया है एवं स्मारित किया गया है । प्रधान सचिव के स्तर से पत्रांक–3015 दिनांक– 18.10.2016 द्वारा स्मारित भी किया गया है। पुनः पत्रांक–967 दिनांक 21.04.2017 द्वारा स्मारित किया जा चुका है। प्रशाखा पदा0–1 को निदेश दिया गया कि स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना से समिति को अवगत कराया जाए।
3. श्री कृष्णदेव सिंह सेवानिवृत्त प्रभारी, उप निदेशक, नियोजन, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	**<u>दिनांक 01.04.1994 के प्रभाव से उप निदेशक, नियोजन के पद पर नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में–</u>** प्रशाखा पदा0–1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह के आवेदन के आलोक में उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति विचारणीय है। विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त कर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन से कार्रवाई अपेक्षित है। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथि दिनांक 23.05.2017 को निर्धारित हो गयी है। प्रशाखा पदा0–1 को निदेश दिया गया कि प्रोन्नति समिति की बैठक के फलाफल से समिति को अवगत कराया जाय।
4. सचिव, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संगठन, पटना। 5. अतुल रंजन एवं अन्य प्राचार्य / उप प्राचार्य संवर्ग	**<u>बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के प्राचार्य संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि के संबंध में–</u>** उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01 (सरकार पक्ष) के गै0स0प्रे0सं0–73 (श्रम) दिनांक– 18.05.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण सेवा सम्पुष्टि नहीं हो पा रही थी। महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में बिना विभागीय परीक्षा में उर्त्तीण हुए संपुष्टि का निर्णय लिया गया। सेवा सम्पुष्टि सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जा चुका है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। इस कारण इसे प्रशाखा –01 से विलोपित किया जा सकता है। समिति द्वारा प्रशाखा–01 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संलग्न सेवा सम्पुष्टि सम्बन्धी आदेश की समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि विभागीय अधिसूचना सं0–09 दिनांक 08.05.2017 द्वारा 22 प्राचार्यो को प्राचार्य के पद पर सेवा सम्पुष्ट किया गया है, जिसमें श्री अतुल रंजन का नाम सम्मिलित है तथा विभागीय अधिसूचना सं0–10 दिनांक– 08.05.2017 द्वारा 34 उप प्राचार्यों को उप प्राचार्य के पद पर सेवा सम्पुष्ट किया गया है। प्रशाखा–01 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में दोनों मामलों को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

6. डॉ0 कमलेश्वर नारायण अग्रवाल सेवा निवृत, क्षे0प्र0चि0 पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार	**अधिकाल प्रवर कोटि(2.5%) में दिनांक 01.04.1987 से लंबित प्रोन्नति के संबंध में–** प्रशाखा पदा0–1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 अग्रवाल के प्रवर कोटि प्रोन्नति से सम्बन्धित अभ्यावेदन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। लगभग 40 पदाधिकारी के साथ इनके मामले को रखा जा रहा है। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथि दिनांक– 23.052017 को निर्धारित हो गयी है। प्रशाखा पदा0–1 को निदेश दिया गया कि प्रोन्नति समिति की बैठक के फलाफल से समिति को अवगत कराया जाय।

श्रम पक्ष

श्रम पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री राधा बिहारी प्रसाद सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्त्तन पदा0	**वेतन विमुक्ति, वेतन वृद्धि तथा ए0सी0पी0 का लाभ देने के संबंध में।** श्रम पक्ष के पत्रांक–5200 दिनांक–15.12.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति के संबंध में दिनांक 06.10.2016 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की बैठक में इनके मामले को विचारित करते हुए अस्वीकृत करने का निर्णय हुआ है। वेतन विमुक्ति, वेतन वृद्धि के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। श्रम पक्ष के पत्रांक–2851 दिनांक 18.05.2017 द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया है श्री राधा बिहारी प्रसाद के उनके राजगीर, नालन्दा के पदस्थापन काल में लंबित वेतन भुगतान /लंबित वेतन वृद्धि के भुगतान किये जाने पर निर्णय हेतु विषय से संबंधित संचिका में कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित की गयी है। उपस्थित प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम पक्ष को निदेश दिया गया कि इस संबंध में लिये गये निर्णय से समिति को अवगत कराया जाय।
2. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, श्रम प्रवर्त्तन पदा0 संघ 3. श्रीमती हीरा देवी, पति–स्व0 फूलन सिंह, सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0 ग्राम+पोस्ट–दिघवलिया, जिला–सिवान 4. श्री लाल बाबू, सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0	**सरकारी सेवकों को कनीय/वरीय प्रवर कोटि का लाभ प्रदान करने के एवं श्रम प्रवर्त्तन पदा0 संवर्ग की सेवाशर्त्त नियमावली के गठन के संबंध में–** श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कनीय/वरीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति से संबंधित संचिका उच्च स्तर पर उपस्थापित है, जिसमें वित विभाग की सहमति प्राप्त करने का प्रस्ताव है। नियमावली के संबंध में श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली अधिसूचित कर दी गयी है। अवर सचिव, श्रम पक्ष को निदेश दिया गया कि कनीय /वरीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति से संबंधित मामलों का शीध्र

5. श्री अजय कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0 6. श्री जय गोविन्द राम, सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0 7. श्री रमाकान्त सिंह, सेवा निवृत्त श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी।	निष्पादन कराते हुए समिति को अवगत कराया जाए।
8. श्री गोपाल राम सेवा निवृत्त सहायक श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) बिहार, पटना।	**<u>सेवान्त लाभ तथा पेंशन संचालित करने के संबंध में</u>** श्रम पक्ष के पत्रांक–989 दिनांक–16.03.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के सेवान्त लाभ एवं पेंशन संचालन के संबंध में निम्न कार्रवाई की जा चुकी है– 1. पेंशन/उपादान– पेंशन प्रपत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को विभागीय पत्रांक 844 दिनांक 07.03.2017 द्वारा भेज दिया गया है। 2. ग्रुप बीमा– कार्यालय आदेश सं0 112 दिनांक 30.01.2017 द्वारा ग्रुप बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है। 3. उपार्जित अवकाश – कार्यालय आदेश सं0–116 दिनांक–13.02.2017 के द्वारा स्वीकृति की कार्रवाई की जा चुकी है। उक्त के आलोक में विपत्र पारित करने हेतु कोषागार भेजी गयी है। 4. भविष्य निधि– सामान्य भविष्य निधि कार्यालय से प्राप्त प्राधिकार पत्र रू0 1,65,217.00 का भुगतान किया जा चुका है। पूर्व में निर्गत प्राधिकार पत्र की राशि दूसरे प्राधिकार पत्र में सम्मिलित है अथवा उक्त राशि के आलोक में निर्गत है, इस संबंध में पत्रांक– 2/ई1–2069/2016 –803 दिनांक 06.03.2017 द्वारा भविष्य निधि कार्यालय को लिखा गया है। श्रम पक्ष के पत्रांक–1466 दिनांक–13.04.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री गोपाल राम सेवा निवृत्त सहायक श्रम संसाधन विभाग श्रम पक्ष को पेंशन/उपादान/ग्रुप बीमा /उपार्जित अवकाश का भुगतान हो चुका है। पुनः श्रम पक्ष के पत्रांक–2851 दिनांक– 18.05.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि कार्यालय से प्राप्त रू0 3,76,862.00 (तीन लाख छिहत्तर हजार आठ सौ बासठ) रूपये मात्र का प्राधिकार पत्र के आलोक में भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर दिनांक–11.05.2017 को सचिवालय कोषागार, विकास भवन, को भेज दिया गया है। अवर सचिव श्रम पक्ष को निदेश दिया गया कि आवेदक के सामान्य भविष्य निधि राशि के भुगतान की सूचना से समिति को अवगत कराया जाय।